

कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला-बीजापुर (छ.ग.)

Phone No: and Fax No.- 07853220120, Email-hortibijapur222@gmail.com

क्रमांक/180 /स्थापना- डीएमएफ/ग्रा.उ.वि.अ.भर्ती /2026-27/बीजापुर दिनांक 26/05/2026

// मासिक मानदेय आधारित (अस्थाई) नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

जिला बीजापुर अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी क्षेत्र विस्तार, विभागीय/केन्द्रीय योजनाओं के शतप्रतिशत क्रियान्वयन करने हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद अन्तर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर मासिक मानदेय आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। जिसके लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला बीजापुर (छ0ग0) में दिनांक 15.06.2026 समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक संबंधित पद के विरुद्ध भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेजों का आवेदन पत्र का एक सेट स्व - प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित समय तक रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	पदनाम	कार्यक्रम	वेतन एकमुश्त	रिक्त पद की संख्या	अना	अजजा	अपिव	अजा	योग
1	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	डीएमएफ	26490.00	08 (मुक्त)	01	04	02	01	08

क्रमांक	वेतनमान मासिक वेतन मेट्रिक्स लेवल-7
1	2
1	राशि रु. एकमुश्त 26490.00

शैक्षणिक योग्यता :-

क्रमांक	पदनाम	कार्यक्रम	योग्यता
1	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	डीएमएफ	कृषि/उद्यानिकी स्नातक डिग्री

चयन प्रक्रिया:-

- शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तकों के प्रतिशत का 80 प्रतिशत अंक एवं अनुभव के लिये प्रति वर्ष 1 के अंक के मान से अधिकतम 5 अंक प्रावधान होगा। शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं के कार्यानुभव ही मान्य होंगे। तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक निर्धारित है।
- उक्त पद हेतु अंतिम चयन सूची, शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तकों के प्रतिशत का 80 प्रतिशत अंक एवं अनुभव तथा साक्षात्कार से प्राप्त अंकों को जोड़कर चयन सूची बनाई जायेगी। आवेदक के प्राप्तांक एक समान होने की स्थिति में जिला बीजापुर के आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी इस क्रम में जिले के आवेदक उपलब्ध न होने पर बस्तर संभाग के आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी एवं उसके पश्चात् राज्य स्तर के आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।


Pras

—:नियुक्ति शर्तें:—

1. सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानेदय डी.एम.एफ. मद अन्तर्गत देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ते/सुविधायें देय नहीं होंगे।
2. उक्त पद पर नियुक्ति होने के उपरांत प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के अनुपातिक आधार पर किया जावेगा।
3. प्रथम नियुक्ति के प्रथम छः महीने पश्चात् ही प्रसति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 90 दिवस की होगी।
4. उक्त पद पर नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता एवं कार्य मूल्यांकन संजोषजन होने के स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकती है। भविष्य में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती होने के स्थिति में पद स्वतः निरस्त माने जायेंगे। उक्त पद पर नियुक्ति अवधि समाप्ति होने पर सेवा स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
5. प्रतीक्षा सूची की वैधता केवल 01 वर्ष रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद अथवा त्यागपत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इस प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी को पद स्थापना स्थान पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा।
9. प्रत्येक मास में कार्य प्रगति प्रतिवेदन नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना होगा उस आधार पर एक वर्ष का कार्य मूल्यांकन तैयार किया जावेगा।
10. नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्तकर्ता द्वारा सुनवाई अवसर देने के पश्चात् सेवा समाप्त की जा सकेगी।
11. आदेश जारी तिथि के सप्ताह के भीतर कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला बीजापुर में जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र के साथ पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देना होगा। विलंब के स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
12. शासकीय/अर्धशासकीय संस्था अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
13. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु लागू आरक्षण में नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान होगी।
14. भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियम शर्तों में परिवर्तन होने पर आवेदकों को मान्य होगा।

Ran

15. भर्ती/प्रक्रिया सेवा के दौरान होने वाले किसी भी विवाद निर्मित होने पर अंतिम निर्णय लेने का सर्व अधिकार जिला कलेक्टर जिला - बीजापुर (छ0ग0) को होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
16. एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवार्यें स्वयं मेव समाप्त मानी जावेगी।
17. सेवा अवधि में किसी भी प्रकार का धरना/हड़ताल/प्रदर्शन इत्यादि में जाने की अनुमति नहीं होगी। धरना/हड़ताल करने पर सेवा से वंचित करने का अधिकार जिलाधीश/कलेक्टर जिला - बीजापुर को होगा।
18. सेवा प्रदाता पद से संबंधित काउंसलिंग में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन नहीं होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
19. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्ती बद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रंमाक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में संलग्न करें - 1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 2. कृषि स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र 3. निवास प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग) 5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 10वीं/12 वीं के अंकसूची 6. रोजगार पंजीयन 7. अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र


सहायक संचालक उद्यान
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

- आवेदन - पत्र का प्रारूप -

प्रति,

सहायक संचालक उद्यान
जिला - बीजापुर (छ0ग0)

चस्पा पास
फोटो सहित
स्वंय द्वारा
प्रमाणित

आपका विज्ञापन दिनांक/...../2026 में विज्ञापित पद (पद का नाम लिखें)
के लिए मैं अपना आवेदन - पत्र प्रस्तुत कर/रही हूँ।

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :-
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम :-
- (अंग्रेजी के केपिटेल लेटर में)
3. पिता/पति का नाम :-
4. माता का नाम :-
5. जन्मतिथि (अंको में) :-
- (शब्दों में) :- दिनांक माह..... वर्ष
6. जाति संवर्ग (सा./अ.पि.व./अजजा/अजा) :-
- (आरक्षित वर्ग का होने की स्थिति में सक्षम
अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) :-
8. क्या आप दिव्यांग श्रेणी के हैं (हाँ/नहीं) :-
9. यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रतिशत एवं प्रकार :-
- (जिला मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. स्थाई निवासी का पूर्ण पता :-
-
-
-
-
- :- मोबाईल नम्बर.....
- :- ईमेल आईडी.....
11. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-.....
-
-
-

12. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	परीक्षा का पूर्णांक	परीक्षा में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

13. कार्यानुभव का विवरण :-

क्र०	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार (शासकीय / सार्वजनिक / वित्तीय सहायक प्राप्त संस्था)	पदनाम	कार्य अवधि (अनुभव के कुल पूर्ण वर्ष)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

14. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्र की सूची व संख्या :-

1. 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर्स / वर्ष की)
3. भूतपूर्व सैनिक / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र
4. संबंधित कौंसिलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र
5. स्थाई जाती प्रमाण पत्र
6. दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र
7. मूल निवास प्रमाण पत्र
8. अनुभव प्रमाण पत्र
9. अन्य प्रमाण पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

—:घोषणा—पत्र :-

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण हैं। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावें समाप्त हो जाएँगे।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

रु0 50 के गैर न्यायिक स्टाम्प में
मैं शपथकर्ता पता शपथ-पत्र का प्रारूप

मैं शपथकर्ता..... उम्र..... पिता/पति.....

पता..... शपथ-पत्र का प्रारूप उम्र पिता/पति एतद् द्वारा
निम्नानुसार शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :-

1. जिला बीजापुर में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की मानदेय पर अस्थाई भर्ती हेतु समस्त नियम शर्तों मेरे द्वारा भली-भांति पढ़ ली गई हैं।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जिसमें मेरी सेवायें नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा 01 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी, जो मुझे मान्य हैं। मैं इसमें किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति/न्यायालय में जाने के लिये अधिकृत नहीं रहूँगा।
3. चयन एवं सेवा अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रेषित प्रमाण-पत्र अंकसूची/जाति/निवास आदि झूठी/फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि होने पर मेरी सेवा अथवा दावा स्वयं समाप्त हो जावेगी एवं कार्यवाही के लिए नियोक्ता स्वतंत्र रहेगा।

शपथकर्ता

// सत्यापन //

मैं शपथकर्ता..... उम्र..... पिता/पति.....

पता..... उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका एक एवं दो तक लिखी सभी बातें मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सत्य व सही है। अतः आज दिनांक को मैं इस पर अपने हस्ताक्षर किया।

दिनांक

शपथकर्ता